भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 5109**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिला निर्यात हब

5109. **श्री दामोदर अग्रवालः**

श्री जी.एम. हरीश बालयोगीः

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री भोजराज नागः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

सुश्री कंगना रनौतः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

श्री गोपाल जी ठाकुरः

डॉ. के. सुधाकर:

श्री आलोक शर्माः

क्या ***वाणिज्य और उद्योग*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर साबरकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साबरकांठा और अरावली जिलों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा जलगांव, पलनाडु, कोनासीमा जिलों में, अंतिम रूप दी गई और स्वीकृत जिला निर्यात कार्य योजनाओं (डीईएपी) की वर्ष-वार, जिला-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या जिला स्तर पर निर्यात से संबंधित डेटा किसी डिजिटल पोर्टल या आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश और झारखंड के संदर्भ में, पहचानी गई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों और निर्यात क्षमता सहित तत्संबंधी जिला और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले सहित चिन्हित जिला निर्यात हब से विहित निर्धारण वर्ष की तुलना में निर्यात के मूल्य में वृद्धि के विकासपरक रुझानों के डेटा का वर्ष-वार, जिला-वार, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिला निर्यात कार्य योजना के अंतर्गत हितधारकों के लिए जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु साझा परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन केन्द्र तथा आवश्यक अवसंरचना स्थापित की गई है;

(च) यदि हां, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोनासीमा तथा पलनाडु जिले, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले सहित सृजित सुविधाओं का राज्य और जिला-बार ब्यौरा क्या है तथा निर्यात में लगे एमएसएमई और किसान-उत्पादक संगठनों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कृषि, हस्तशिल्प, लघु पैमाने पर निर्मित और वन-आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने या निर्यात केंद्र विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के अंतर्गत, राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र का गठन सभी 36 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है। 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाओं (डीईएपी) के मसौदे तैयार किए गए हैं, जिनमें से 249 को संबंधित डीईपीसी द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। अनुरोधित जिलों/राज्यों के लिए निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- साबरकांठा (गुजरात): सिरेमिक और टाइल्स, आलू।
- अरावली (गुजरात): खनिज, कृषि-प्रसंस्करण, कांच और टाइल्स।
- जलगांव (महाराष्ट्र): जलगांव केला, जलगांव भारित बैंगन।
- मध्य प्रदेश: सभी 52 जिलों में पहचाने गए उत्पाद, जैसे इंदौर में प्याज और फार्मा, और आगर मालवा में संतरे।
- छत्तीसगढ़: रायपुर में चावल, मक्का और आम तथा बस्तर में बस्तर लौह शिल्प जैसे उत्पादों को चिह्नित किया गया है।
- झारखंड: जिले में चिह्नित किए गए उत्पादों में बांस शिल्प, वन उत्पाद और सब्जियां शामिल हैं।

निर्यात से संबंधित डेटा निम्नलिखित पोर्टलों/प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है: https://niryat.gov.in और https://www.dgciskol.gov.in.

डीईएच की इस पहल के अन्तर्गत देश भर के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित किया गया है, जिसमें जीआइ उत्पाद, कृषि क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर शामिल हैं। ऐसे चिह्नित उत्पादों/सेवाओं की सूची https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/a667478a-d204-4d95-a71c a58452e1c6d9/ Note%20 -%20Districts%20as%20Export%20Hubs%20Initiative.pdf पर उपलब्ध है।

निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात वृद्धि को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र का गठन किया गया है। अन्य कदमों में जागरूकता बढ़ाने और निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

निर्यात केंद्र के रूप में जिला पहल का उद्देश्य जिले में निर्यात, विनिर्माण और सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को भारत के बाहर संभावित खरीदारों को खोजने और उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में सहायता करना है।

इसका उद्देश्य जिला स्तर पर निर्यात के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता बढ़ाना, नए निर्यातकों को बनाने के लिए क्षमता को बढ़ाना है और केंद्रित उत्पादों और सेवाओं के लिए नए बाजारों की पहचान करना है।

यह एमएसएमई, किसानों और लघु उद्योगों को विदेशी बाजारों में निर्यात अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

यह विकेंद्रीकृत और केंद्रित दृष्टिकोण जिलों से उत्पादों और सेवाओं के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करके आत्म-निर्भरता और स्वावलंबन के लिए जिला-नेतृत्व वाले निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
